

राजस्थान सरकार

कार्यालय सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर खजूर, सगरा भोजका फार्म, जैसलमेर


फोन न 02992-251325 मोबाइल न 9414352265, 9667498495

क्रमांक:-सीओई/डेटपाम/2016-17 / 183-346

दिनांक 02-07-2016

खजूर फल नीलामी सूचना

राजकीय खजूर फार्म सगरा भोजका जैसलमेर में लगभग 11125 खजूर वृक्षों के फलत में आये अनुमानित 174.4 मै.टन खजूरो की खुली बोली से नीलामी दिनांक 07.07.2016 को अपरान्ह दो बजे फार्म मुख्यालय पर लगाई जावेगी। उक्त बोली में सर्वसाधारण फल विक्रेता, विपणन कर्ता 50000/-रु. अमानत राशि जमा कराकर भाग ले सकते हैं। बोली की विस्तृत सूचना एवं शर्तें <http://sppp.rajasthan.gov.in>, , [www.dipr.rajasthan.gov.in](http://www.dipr.rajasthan.gov.in) , [www.horticulture.rajasthan.gov.in](http://www.horticulture.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।


  
उप निदेशक उद्यान,  
COE खजूर,  
सगरा भोजका, जैसलमेर

क्रमांक:-सीओई/डेटपाम/2016-17 / 183-346

दिनांक - 02-07-2016.

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, राजस्थान जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.21 (5)(11) नि.उ./ रा.कृ.वि.यो./खजूर/रा.फा.उपज/2016-17/549-52 दिनांक 10.06.2016 एवं 01.07.2016 की पालना में।
2. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जयपुर, कोटा, उदयपुर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, अजमेर।
4. श्रीमान् सयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड जयपुर, कोटा, जोधपुर।
5. श्रीमान् उप निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त .....।
6. श्रीमान् उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा समस्त.....।
7. श्रीमान् उप निदेशक उद्यान खण्ड समस्त .....।
8. लेखाधिकारी उद्यान, उद्यान निदेशालय पंत कृषि भवन जयपुर।
9. सहायक निदेशक उद्यान समस्त .....।
10. सचिव फल एवं सब्जी मण्डी समस्त राजस्थान।
11. सचिव कृषि उपज मण्डी (फल एवं सब्जी) पावटा, जोधपुर/जैसलमेर।
12. राजस्थान हाईटेक एग्री प्रोडक्ट कम्पनी 4/26 सुखाडिया शॉपिंग सेन्टर श्रीगंगानगर।
13. प्रकाशक इण्डियन ट्रेड जनरल, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली 110054।
14. <http://sppp.rajasthan.gov.in> , [www.dipr.rajasthan.gov.in](http://www.dipr.rajasthan.gov.in), [www.horticulture.rajasthan.gov.in](http://www.horticulture.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।
15. नोटिस बोर्ड .....।


  
उप निदेशक उद्यान,  
COE खजूर,  
सगरा भोजका, जैसलमेर

राजकीय खजूर फार्म सगरा-भोजका, जैसलमेर में खजूर फल वृक्षों पर खजूर फलों की नीलामी  
की शर्तें वर्ष 2016-17

1. खजूर वृक्षों के फलत में आये फलों की खुली बोली द्वारा नीलामी होगी। अनुमानित उत्पादन 174.4 मै. टन एवं राशि 26.16 लाख है।
2. खुली बोली में भाग लेने से पूर्व निर्धारित बिड सिक्योरिटी रू. 50000/- नगद/बैंक ड्राफ्ट (जो सदस्य सचिव, राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी जयपुर के नाम से देय हो ) के जरिये जमा करवाने के पश्चात ही बोली लगाने का हकदार होगा। सफल बोलीदाताओं की यह राशि 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी एवं असफल बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
3. तीन उच्चतम बोली दाताओं की अमानत राशि कार्य आदेश तक जमा रखी जावेगी तथा शेष बोली दाताओं को नीलामी कार्यवाही उपरान्त लौटा दी जावेगी।
4. खुली बोली दिनांक 07.07.2016 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय सेन्टर ऑफ एकसीलेन्स खजूर फार्म सगरा-भोजका जैसलमेर में लगायी जावेगी।
5. नीलामी की अन्तिम बोली ( उच्चतम मूल्य ) नीलामी कमेटी की राय पर समाप्त किया जायेगा। नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि 3 दिवस के भीतर में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी, अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत राशि तथा 50000/- रू. धरोहर/अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और नीलामी दोबारा की जायेगी। दुबारा नीलामी अधिकतम बोलीदाता की (पूर्व में नीलामी में सफल रहे बोलीदाता/ठेकेदार जो कार्य करने में असमर्थ रहे है) रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जायेगी।
6. ठेका जिस ठेकेदार के नाम से छुटेगा वह 3 दिन में 1000/- रू. (राशि रू. एक हजार मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिक इकरार नामा लिखाना होगा। इकरार नामे के अभाव में ठेकेदार को फार्म में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. ठेकेदार या कोई प्रतिनिधी, फार्म पर किसी प्रकार का नुकसान करता पाया गया तो नुकसान की भरपाई उसकी जमानत राशि से जब्त कर ली जायेगी और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से ठेका होने के बाद में किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, उसमें विभाग/फार्म का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. फार्म के रखरखाव व चौकीदारी का कार्य मैसर्स राजस्थान हाईटेक एग्रो प्रोडक्ट्स कम्पनी श्री गंगानगर द्वारा किया जा रहा है। नीलामी किये गये खजूर के फलों की रखवाली की जिम्मेदारी ठेका लेने की दिनांक से स्वयं फलो का ठेका लेने वाले ठेकेदार की होगी। तथा अतिरिक्त चौकीदारों की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जायेगी।
10. ठेकेदार को अपने अधिकृत प्रतिनिधी व मजदूरों की सूचि, वृक्षों के फल तोडने से पहले विभाग /फार्म के रखरखाव व चौकीदार के कार्य कर रहे मैसर्स राजस्थान हाईटेक एग्रो प्रोडक्ट्स कम्पनी श्री गंगानगर को उपलब्ध करवानी होगी।
11. ठेकेदार का कोई भी अधिकृत प्रतिनिधी फलित पौधों के फलों के अलावा किसी भी प्रकार के सामान/वस्तु/पौधा ले जाता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
12. नीलामी कमेटी को नीलामी बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. ठेकेदार के बीच की किसी तरह का विवाद होगा तो उसकी सुनवाई श्रीमान निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय राज. जयपुर द्वारा की जायेगी तथा निदेशक उद्यान महोदय का अंतिम निर्णय मान्य होगा।
14. ठेका आदेश की तिथि दिनांक 07.07.2016 से दिनांक 15.09.2016 तक रहेगी। उसके पश्चात् ठेकेदार को फार्म में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।



15. फल तोड़ाई के समय फार्म में वृक्षों के रखरखव हेतु नियमित कृषि कार्य, राजस्थान हाईटेक एग्रो प्रोडक्ट कम्पनी द्वारा करवाया जायेगा। इसमें टेकेदार का कोई ऐतराज मान्य नहीं है।
16. खजूर के फल तोड़ते समय वृक्षों को किसी भी प्रकार का क्षति न पहुंचे। अतः फलों को सावधानी व वैज्ञानिक विधि पूर्वक तोड़ना होगा।
17. भण्डारण, ग्रेडिंग आदि की सुविधा विभाग/फार्म द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जावेगी।
18. राजकीय खजूर फार्म पर फलों का अवलोकन हेतु कार्यालय दिवस में कार्यालय समय पर किया जा सकता है।
19. विधिक कार्यवाही की दशा में न्यायिक क्षेत्र जैसलमेर होगा।
20. प्रत्येक बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड एवं स्थाई पता देना होगा।
21. इच्छुक बोलीदाता निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में शर्तों की जानकारी ले सकते हैं तथा खजूर फार्म का अवलोकन कर सकते हैं।
22. नीलामी/बोली होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से तारबंदी व गेट होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का नुकसान/चोरी होने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
23. सफल बोलीदाता को जो पौधे जिस हालत में दिए जाएंगे वह गिनती कर वापस उसी हालत में सम्भलवाएगा। यदि कोई नुकसान पाया गया तो नुकसान की भरपाई कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि से की जाएगी तथा बीच में बोलीदाता किसी प्रकार का नुकसान करता पाया गया तो हानि की वसुली करते हुई बोली निरस्त कर दी जाएगी।
24. फल उत्पादन के विक्रय/निष्पादन की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी विभाग/फार्म इस कार्य में बोलीदाता का सहयोग करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
25. नीलामी के नियमों एवं शर्तों एवं अन्य जानकारी हेतु <http://sppp.rajasthan.gov.in>, [www.dipr.rajasthan.gov.in](http://www.dipr.rajasthan.gov.in), [www.horticulture.rajasthan.gov.in](http://www.horticulture.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।
26. उपरोक्त शर्तें अनुबन्ध का हिस्सा रहेगी।

  
उप निदेशक उद्यान,  
COE खजूर,  
सगरा भोजका, जैसलमेर